गौ हत्या के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

संदेश वाहक न्यूज

- **अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का किया था गठन**

श्रावस्ती। नवीन मॉडर्न पुलिस थाना श्रावस्ती क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर के मजरा होलई पुरवा स्थित एक गन्ने के खेत में 23 जून को हुए गो हत्या मामले में एसओजी एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में घटना में संलिप्त अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चार टीमों का गठन किया था। इसी बीच रविवार देर रात एसओजी एवं नवीन मॉर्डन पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि गोपालपुर स्थित गन्ने के खेत में गोवंश का वध करने वाले आज पुनः मरवटिया नहर पुल के बगल एक बाग में एक और गोवंश को क्रूरता पूर्वक पेड़ से बांधे हुए है, जिसका आज वध करेंगे। मुखबिर की सूचना को गम्भीरता पूर्वक लेते हुए मौके पर पहुंची संयुक्त टीम ने मरवटिया नहर पुल पर घेराबंदी कर ली। पुलिस टीम से घिरा देख एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया, जिसपर पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह वहीं पर गिर गया। जबकि दूसरा आरोपी वहां से भागने लगा, जिसे पुलिस कर्मियों ने दौड़ा कर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुनव्वर उर्फ अता हुसैन उर्फ अता मोहम्मद ,चोरे उर्फ मुनसरीफ के रूप में हुई। गोली मुनव्वर के दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी है, जिसका सीएचसी इकौना में प्राथमिक उपचार कराया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सोमवार को जेल रवाना कर दिया गया है।

गैरइरादन हत्या का आरोपी सात साल बाद हत्थे चढ़ा

- **2018 में आरोपी ने अपनी सरहज को पीटा था**
- **सात साल से पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी**

श्रावस्ती, संवाददाता। गैरइरादतन हत्या के वांछित आरोपी को पुलिस ने सात साल बाद गिरफ्तार किया। 2018 में आरोपी ने अपनी सरहज को पीटा था। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

उमर मोहम्मद साई उर्फ शेखावत पुत्र छोटे निवासी बालापुर रतैहिया थाना नरैनापुर बांके राष्ट्र नेपाल की ससुराल श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के गद्दीपुरवा में है। वर्ष 2018 में उमर मोहम्मद साई उर्फ शेखावत अपने भाइयों के साथ अपनी ससुराल आया था और मारपीट की थी। इस दौरान आरोपी ने अपने साले की पत्नी फूलजहां को लाठी डंडों से पीट दिया था जिससे वह गंभीररूप से घायल हो गई थी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के साथ उसकी मौत हो गई। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी उमर मोहम्मद साई उर्फ शेखावत के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। सात साल से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस की ओर से उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। सोमवार को मल्हीपुर थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने टीम के साथ आरोपी को शंकरपुर के आगे जंगल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष के साथ मुख्य आरक्षी गोविन्द कुमार, आरक्षी मनमोहन वर्मा व आरक्षी अनुज कुमार शर्मा शामिल रहे।